

with the following result.

— 5 —

10 of 10

卷之三

III. *Augmentation of the number of the species of the genus* *Thlaspi* *in the* *Flora of the* *Soviet Union*

諸君之言，皆是也。若以爲吾子之言，則吾子之言，亦是也。若以爲吾子之言，則吾子之言，亦是也。

卷之三

此書之成，實賴諸君之支持，特此致謝。謹此為止。

1100

→ [View details](#) → [View details](#)

© 2010 Pearson Education, Inc.

1996-1997

Digitized by srujanika@gmail.com

—
—
—

—
—
—

— 1 —

कार्यालय

प्रकाशन— भारतीय विद्यालय नामसंक्षेप / २०१० / १९७१

2020-04-10--2020

काल्पनिक सामग्री

बैंक अन्तर्राष्ट्रीय पालनीको रेट दरियादूर नहुँ छिए। फारेंसि कार्गिको लाई ब्रिटिश नहुँ भए २०२०-२१। ऐसे विवरणमा जानायल जाननीको विवरण अवधारणा को अनुग्रहित प्रधान मिशन जाति को प्रधारणा अनुग्रहित विवरण नहिए। जावनदूर दो जानकारी, जानकारी विवरण द्वयमा १०४, १०८ रेट दिनांक १५-३-२०२१ को खलाहा, प्राक्षिक १०५५ परिवर्द्ध १०५५ लालचाल को जानकारी से दरियादृष्टि प्रधारणा म रेटका असम्भव हुआ। यसका अनुग्रहित दस्ता जन २०२०-३१ रेट अनोइन नहुँ जानकारी को जानकारा, भूमि को जानकारी जानकारी को जानकारा विवरण/प्राक्षिक/जानकारी दुखि राखिए अन्त जारी पर विवरण जानी १५ जन २०२०-३१ ऐसे जानकारी विवरण मिशन जारी राखिए।

जल्दी अनुकूल रूपवता सुनाई की देखते हैं यह—उन विषयों पर कामी यात्रामें जबकि कठीन समीक्षा की जानकारी के लिए उन्होंने इस गति का नियम विभिन्न विधियाँ—

"निच्छी दीज वें एप्पापिल डिल्लीमा इन फोर्मैटी प्राक्त्यक्षम संचालित जारीने पाली
सामर्थ्याएँ, जो प्रागेतिका शिला परिषद् नियमित लखनऊर में गूढ़ रो बाबूह ४, एवं संव
२०२०-२१ हेतु पीठीक्कालाई० हारा चन्द्री बमानल अनुग्राहक नियतार प्रदान किया गया है। इन
सामर्थ्यों में पीठीक्कालाई० द्वारा प्रदान किये गये अनुग्राहक नियतार के जनुलाल चन्द्री के नाम के
एकमुख उंचित प्राक्त्यक्षम/प्रबोध हारा के साथ संव २०२०-२१ हेतु परिषद् वो सामर्थ्यहारा
नियतार प्रदान किये जाने पर भागिति द्वारा विवास-विवाह किया गया एवं गर्वगामिति वो
पीठीक्कालाई० हारा प्रदत्त जनुग्राहक नियतार के लाभ्यक्षम में संव २०२०-२१ हेतु परिषद् के
सामर्थ्यहारा विवतार दिये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक १५-०८-२०२० को असमीया राज्यसभा विधानसभा की बैठक में लिखित रूप से उल्लंघन का आरोपित विषय परिवर्तन कर अप्रूचल इमार विधानसभा २०२०-२१ शुभ घोषणापत्र द्वारा दिलाई गयी वार्ता का अधिकार वार्ताकार्यालय द्वारा अधिकार द्वारा दिलाई गयी वार्ता है :-

କ୍ରମ ନଂ	ପରିବହନ ବିଧାନ	ପରିବହନ ବିଧାନ	ପରିବହନ ବିଧାନ	ପରିବହନ ବିଧାନ
୧	ପରିବହନ ବିଧାନ କମିଟିରେ ଏହା ଦିନିରେ ଏହା ଦିନିରେ ଏହା ଦିନିରେ ଏହା ଦିନିରେ ଏହା ଦିନିରେ	ପରିବହନ ବିଧାନ	ପରିବହନ ବିଧାନ	ପରିବହନ ବିଧାନ

REFERENCES

- ✓ अन्य एकार्थीय वाक्यों का उपयोग करके इसका अर्थ बताया जाता है।
 - ✓ अन्य एकार्थीय वाक्यों का उपयोग करके इसका अर्थ बताया जाता है।

三、评价与反馈

四、任务二：填空

ପ୍ରାଚୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

Digitized by srujanika@gmail.com

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1252-INTEGRATED ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,
DELHI HAPUR BYPASS (NH-24), GHAZIABAD-201009**

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INTEGRATED ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, DELHI
HAPUR BYPASS (NH-24), GHAZIABAD-201009



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव